छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल

क्रमांक 2181/अ.ज.सं./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 13/7/2016

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में रिक्त रसायनज्ञों की पूर्ती हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम अनुसार चयनित रसायनज्ञों की प्रावधिक सूची (प्रोविजनल लिस्ट) पर प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 13/07/2016 का प्रतिवेदन :–

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में रिक्त रसायनज्ञों की पूर्ती हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम अनुसार चयनित रसायनज्ञों की प्रावधिक सूची (प्रोविजनल लिस्ट) मंडल के कार्यालय आदेशक्रमांक 1692/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर दिनांक 16/06/2016 के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें सूची जारी होने के दिनांक के 15 दिवस के भीतर दावा – आपत्ति आमंत्रित की गई थी। इन दावा आपत्ति आवेदन के निराकरण के लिये मंडल के कार्यालय आदेशक्रमांक 2001/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर दिनांक 07/07/2016 के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया है। समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. मंडल में रसायनज्ञ के 10 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु व्यापम के माध्यम से लिखित परीक्षा ली गई। 10 रिक्त पदों पर कुल 4 पद अनारक्षित {2 पद अनारक्षित (मुक्त), 1 पद अनारक्षित (महिला), 1 पद अनारक्षित (निशक्तजन)}, 3 पद अ.ज.जा. {2 पद अ.ज.जा. (मुक्त), 1 पद अ.ज.जा. (महिला)}, 1 पद अनुसूचित जाति एवं 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित है।

उक्त के अनुसार मंडल द्वारा जारी रसायनज्ञ की प्रावधिक सूची (प्रोविजनल लिस्ट) निम्नानुसार है :–

क्रमांक	रोल नं.	चयनित उम्मीदवार का नाम	जन्मतिथि	प्राप्तांक
1.	13010316	श्री शिवेन्द्र साहू (ओ.बी.सी.)	07/03/1989	132.526
2.	13030262	श्री नवीन चन्द्र मालवीय	07/11/1983	131.098
3.	25020185	श्री खेमचंद (ओ.बी.सी.)	08/03/1986	125.408
4.	25010321	कु. शिखा जैन (अनारक्षित, महिला)	27/07/1991	120.640
5.	25030231	श्री संदीप वर्मा (ओ.बी.सी.)	01/02/1981	120.309
6.	25010174	श्री मानिकलाल (एस.सी.)	30/07/1990	119.840
7.	25070202	श्री प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी (एस.टी.)	28/12/1984	117.821
8.	13010352	श्री तरूण कुमार एक्का (एस.टी.)	01/07/1985	108.956
9.	13030333	श्री राजाराम वैष्णव (ओ.बी.सी., पी.एच.)	06/10/1976	108.145
10.	25020182	कु. कविता उईके (एस.टी.,महिला)	16/08/1982	96.231

2. उक्त सूची के विरूद्ध एक दावा आपत्ति श्री एन. कुमार देवांगन जो की स्वयं एक उम्मीदवार हैं, के द्वारा की गई है। आपत्ति संलग्न है। श्री देवांगन के द्वारा की गई आपत्ति निम्नानुसार है:–

"रसायनज्ञ की प्रावधिक सूची में **General** एवं **OBC** की जो सूची है, उसमें कुछ आपत्तियां है। आपत्तियां निम्नानुसार है :–

Overall Rank 01 श्री शिवेन्द्र साहू, **OBC** से है, चूंकि उन्होंने **Top** किया है, तो वे **General** की मुक्त **Seat** मे आएंगे, तथा प्रावधिक सूची में 9वॉं स्थान श्री राजाराम वैष्णव भी **OBC** से है किंतु विकलांग कोटे से **Topper** है, तो वे भी **General** की विकलांग **Seat** मे आएंगे।"

3. समिति द्वारा आपत्ति पर विचार किया गया एवं आपत्ति निराकृत की गई तथा आरक्षण की स्थिति पर भी विचार किया गया।
4. श्री एन. कुमार देवांगन से प्राप्त आपत्ति का निराकरण किये जाने के फलस्वरूप चयनित उम्मीदवारों की सूची रोस्टर अनुसार निम्नानुसार होगी :–

क्रमांक	रोस्टर बिन्दु	चयनित उम्मीदवार का नाम	प्राप्तांक
1.	अनारक्षित (निशक्तजन)	श्री राजाराम वैष्णव (ओ.बी.सी., पी.एच.)	108.145
2.	अनु. जनजाति	श्री प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी (एस.टी.)	117.821
3.	अ.पि.व.	श्री शिवेन्द्र साहू (ओ.बी.सी.)	132.526
4.	अनारक्षित	श्री नवीन चन्द्र मालवीय (सामान्य)	131.098
5.	अनु. जनजाति	श्री तरूण कुमार एक्का (एस.टी.)	108.956
6.	अनु. जाति	श्री मानिकलाल (एस.सी.)	119.840
7.	अनारक्षित	श्री खेमचंद (ओ.बी.सी.)	125.408
8.	अनु. जनजाति (महिला)	कु. कविता उईके (एस.टी.,महिला)	96.231
9.	अनारक्षित (महिला)	कु. शिखा जैन (अनारक्षित, महिला)	120.640
10.	अ.पि.व.	श्री संदीप वर्मा (ओ.बी.सी.)	120.309

(ए.पी. सावंत)
प्रभारी प्रशासन

(ए.सी. मालू)
अधीक्षण अभियंता

(अनूप कुमार बेहरे)
अधीक्षण अभियंता

(जॉन लकड़ा)
अति. मुख्य अभियंता

(जे.आर पुजार)
कार्यालय अधीक्षक

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक2437/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री शिवेन्द्र साहू (अ. पि. व.), पिता – श्री एल.आर. साहू, देवनंदन नगर फेस –1 सरकण्डा, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4 / 2006 / आ.प्र. / 1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक 2438 / मु. / स्था. / छ.ग.प.सं.मं. / 2016

रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक2439/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री नवीन चन्द्र मालवीय (अनारक्षित), पिता – श्री आर.एस. मालवीय, कमला सदन स्ट्रीट – 2, गणेश नगर, रिसाली, भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षंण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक 2449 मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक 2441/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री खेमचंद (अनारक्षित), पिता – श्री भगतराम, दूधवारा, पोस्ट – मुंडीभांवर, तहसील – मगरलोड, जिला – धमतरी (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

20/7/16
सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक 2447/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

25/7/16
सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक 2443/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

कु. शिखा जैन (अनारक्षित, महिला), पिता – श्री प्रकाश चंद जैन, C/o मित्तल ब्रदर्स राधा मोहन काम्प्लेक्स के सामने, अग्रसेन मार्ग पंजाब मिल गली, भैंसथान, रायपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक 2444/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016

रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक 2447/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री मानिकलाल (अ.जा.), पिता – श्री सुखचंद, जोगीगुफा, पोस्ट – लिटिया, तहसील – धमधा, थाना – बोरी, जिला – दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक 2498/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक2449/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी (अ.ज.जा.), पिता – श्री खेमलाल चंद्रवंशी, मकान नं. 1 सड़क नं. 2 ग्राम – अलीखुंटा, पोस्ट बाकल स्टेशन, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक2450/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक2445/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री संदीप वर्मा (अ. पि. व.), पिता – श्री सी.एल. वर्मा, रश्मि कुंज मधुबन नगर मकान नंबर 731 धनोरा रोड, बोरसी, जिला – दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

23/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक 2446/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 — रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

23/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक 2451/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री तरूण कुमार एक्का (अ.ज.जा.), पिता – श्री सुखदेव एक्का, C/o श्रीमती जयारानी एक्का, मुख्य डाकघर अंबिकापुर, जिला – सरगुजा (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक 2454 मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक2453/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

श्री राजाराम वैष्णव (अनारक्षित, दिव्यांग), पिता – श्री बाल मुकुंद वैष्णव, C/o अनुरागदास बड़े, राजाबाड़ा, लोरमी, वार्ड – 3, ब्राम्हण पारा, लोरमी, जिला – मुंगेली (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक 2454/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

क्रमांक2455/मु./स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 25/7/2016

– कार्यालय आदेश –

कु. कविता उईके (अ.ज.जा., महिला), पिता – श्री भागीरथ सिंह उईके, ग्राम – भैंसरा, पोस्ट – देवकट्टा, तहसील – डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– प्लस ग्रेड वेतन रू. 4200/– पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में नियुक्त किया जाता है :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय–समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अथाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी/माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों, शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ–साथ समय–समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4 / 2006 / आ.प्र. / 1–3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्डिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थिती में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 कमांक2456 / मु. / स्था. / छ.ग.प.सं.मं. / 2016 रायपुर, दिनांक25/7 / 2016

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ।
6. सर्वसंबधितों की ओर सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत नस्ती।

25/7/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1692/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 16/6/2016

कार्यालय आदेश

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रिक्त रसायनज्ञों की पूर्ति हेतु व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी परीक्षा परिणामानुसार चयनित रसायनज्ञों की प्रावधिक सूची (प्रोविजनल लिस्ट) :–

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा चयनित रसायनाज्ञों की प्रावधिक सूची (प्रोविजनल लिस्ट) निम्नानुसार जारी की जाती है :–

रोस्टर का बिन्दु	रोल नं.	चयनित उम्मीदवार का नाम	जन्मतिथि	प्राप्तांक
1.	13010316	श्री शिवेन्द्र साहू (ओ.बी.सी.)	07/03/1989	132.526
2.	13030262	श्री नवीन चन्द्र मालवीय	07/11/1983	131.098
3.	25020185	श्री खेमचंद (ओ.बी.सी.)	08/03/1986	125.408
4.	25010321	कु. शिखा जैन (अनारक्षित, महिला)	27/07/1991	120.640
5	25010174	श्री मानिकलाल (एस.सी.)	30/07/1990	119.840
6.	25070202	श्री प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी (एस.टी.)	28/12/1984	117.821
7.	25030231	श्री संदीप वर्मा (ओ.बी.सी.)	01/02/1981	~~117.225~~ 120.309
8.	13010352	श्री तरूण कुमार एक्का (एस.टी.)	01/07/1985	108.956
9.	13030333	श्री राजाराम वैष्णव (ओ.बी.सी., पी.एच.)	06/10/1976	108.145
10.	25020182	कु. कविता उईके (एस.टी.,महिला)	16/08/1982	96.231

1. सूची जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर दावा आपत्ति सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
2. सूची जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी कार्यालयीन दिवस व समय में मंडल मुख्यालय में उपस्थित होंगे। इस संबंध में प्रतिभागियों को पृथक से भी सूचित किया जा रहा है।
3. यह सूची अन्नतिम है। सभी चयनित उम्मीद्वारों के प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की जांच के उपरान्त अन्तिम सूची जारी की जावेगी ।
4. मण्डल द्वारा जारी चयन सूची में चयनित उम्मीद्वारों को 01 माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
5. यह चयन सूची 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी ।
6. चयन सूची को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाईट www.enviscecb.org पर भी देखा जा सकता है।

16/6/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

प्राप्त अंको के आधार पर रसायनज्ञ की चयन सूची

रोस्टर का बिन्दु	रोल नं.	नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्तांक
1.	13010316	श्री शिवेन्द्र साहू (ओ.बी.सी.)	07/03/1989	132.526
2.	13030262	श्री नवीन चन्द्र मालवीय	07/11/1983	131.098
3.	25020185	श्री खेमचंद (ओ.बी.सी.)	08/03/1986	125.408
4.	25010321	कु. शिखा जैन (अना–महिला)	27/07/1991	120.640
5.	25030231	श्री संदीप वर्मा (ओ.बी.सी.)	18/06/1985	120.309
6.	25010174	श्री मानिकलाल (एस.सी.)	30/07/1990	119.840
7.	25070202	श्री प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी(एस.टी.)	28/12/1984	117.821
8.	13010352	श्री तरूण कुमार एक्का (एस.टी.)	01/07/1985	108.956
9.	13030333	श्री राजाराम वैष्णव (ओ.बी.सी.–पी.एच.)	06/10/1976	108.145
10.	25020182	कु. कविता उईके (एस.टी.–महिला)	16/08/1982	96.231

रसायनज्ञ की प्रतीक्षा सूची – अनारक्षित

स्टर का बिन्दु	अन्य पिछड़ा वर्ग	रोल नं.	व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्त
1.	अनारक्षित	13020373	श्री संजय कुमार उपाध्याय	26/09/1988	120.
2.	अनारक्षित	13040126	श्री जयंत कुमार श्रीवास्तव	11/06/1978	119.

रसायनज्ञ की प्रतीक्षा सूची – अन्य पिछड़ा वर्ग

रोस्टर का बिन्दु	अन्य पिछड़ा वर्ग	रोल नं.	व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्त
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग	25050242	श्री एन. कुमार देवांगन	01/02/1981	117.
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	25010223	श्री प्रदीप कुमार कैवर्त	11/01/1976	117.

रसायनज्ञ की प्रतीक्षा सूची – अनु.जनजाति

रोस्टर का बिन्दु	अनु. जनजाति	रोल नं.	व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्त
1.	अनु. जनजाति	13040251	श्री रोहित कुमार सिंह	15/08/1991	104.
2.	अनु. जनजाति	13010373	श्री विजय कुमार चन्द्रवंशी	15/12/1985	101.

रसायनज्ञ की प्रतीक्षा सूची – अनु.जाति

रोस्टर का बिन्दु	अनु. जाति	रोल नं.	व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्त
1.	अनु. जाति	25050113	श्री घनश्याम सिंह	27/02/1988	114.
2.	अनु. जाति	25040104	श्री दिनेश कुमार पिपरे	27/06/1989	113.

प्रतीक्षा सूची . अनारक्षित (महिला)

रोस्टर का बिन्दु	अनारक्षित (महिला)	रोल नं.	व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्त
1.	अनारक्षित (महिला)	13010224	कु. पूजा सिंघल	31/05/1991	110.
2.	ओ.बी.सी. (महिला)	25050139	कु. जया साहू	14/07/1987	108.

प्रतीक्षा सूची . अनु.जनजाति (महिला)

रोस्टर का बिन्दु	अनु. जनजाति (महिला)	रोल नं.	व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्त
1.	अनु. जनजाति (महिला)	13020239	कु. नंदनी	01/05/1991	94.[illegible]
2.	अनु. जनजाति (महिला)	13020097	कु. चारूचित्रा साय	19/02/1991	89.[illegible]

प्रतीक्षा सूची . अनारक्षित (पी.एच.)

रोस्टर का बिन्दु	अनारक्षित (पी.एच.)	रोल नं.	व्यक्ति का नाम	जन्मतिथि	प्राप्त
1.	ओ.बी.सी. (पी.एच.)	13030092	श्री चन्द्रशेखर पटेल	03/03/1988	96.[illegible]
2.	ओ.बी.सी. (पी.एच.)	13040215	श्री राधेश्याम वर्मा	13/05/1984	90.[illegible]